

2018/00073

19/2018

LR Act 136 - 22/02/2018

प्रपत्र-8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प देवीपुरा
"न्याय आपके द्वार-2016"

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी देवीपुरा व भू.अ.नि. खेरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शाहपुरा / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खानीपुरा तहसील शाहपुरा व जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2013-26 में खाता संख्या 69, 68, 85 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खानीपुरा	68	सुरजा कुमारी गोपाल	सुरजमाल कुमारी गोपाल
2	"	60	सुरजा कुमारी गोपाल	सुरजमाल कुमारी गोपाल
3	"	85	सुरजा कुमारी गोपाल	"

पीठासीन अधिकारी
(लोक अदालत)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)

क्रमांक :-

1-3

दिनांक :-

15/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुरजमाल कुमारी गोपाल खानीपुरा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
(लोक अदालत)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)